न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजेश कुमार सैनी बनाम चैतन्य योगी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
16.03.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा चाही गई प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ट्रेस के जरिये पत्रांक 631/भू.अ./2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा प्राप्त जो दिनांक 08.03.2022 को मार्कशुदा है की मूल प्रति पेश हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 23.03.2022 को पेश हो। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।	
23.03.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का (जो पूर्व में दिनांक 08.03.2022 का मार्कशुदा) पेश किया। जिस पर वकील प्रतिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार योगी एंव पक्षकार प्रतिवादी ने कोई आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर अंकित किया। अतः वकील प्रतिवादी की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया कंचन देवी सैनी को आवश्यक पक्षकार वादी संख्या 2 वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाता है। वादी संख्या 2 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् ने मय पक्षकारान् के एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण में जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा दिनांक 04.03.2022 के अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने बाबत प्रस्तुत किया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हो जाने तथा उक्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से वकील प्रतिवादी मय पक्षकार के सहमत होने से वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 631/भू.अ./2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली मिसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.03.28 11:03:47 IST Reason: SelfAttested 23/03/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
107/2021	2021/252	01.09.2021	23.03.2022(अन्तिम डिक्री)

उनवान

1. राजेश कुमार सैनी पुत्र श्री शिम्भुदयाल सैनी, उम्र 43 वर्ष जाति माली, निवासी वार्ड नं. 25, कस्बा श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)।
2. कंचन देवी सैनी पत्नि राजेश कुमार सैनी उम्र 41 वर्ष, जाति माली निवासी वार्ड नं. 25, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

(वादीगण)

बनाम

1. चैतन्य पुत्र श्री आनन्द सैनी, उम्र 31 वर्ष जाति माली, निवासी–जयराम की ढ़ाणी, तन नाँगल भीम, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)।
2. पटवार हल्का हाँसपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर, (राज.)।
3. उप पंजीयक, श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर, (राज.)।
4. भूमिधारी तहसीलदार, श्रीमाधापुर, जिला–सीकर (राज.)।

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित–

श्री कमल कुमार शर्मा, वादीगण अभिभाषक।
श्री धर्मेन्द्र कुमार योगी, प्रतिवादी नं. 1 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 4

वादपत्र बाबत तकास्मा, स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

–:: निर्णय ::–

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.28 11:03:47 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी

दिलीप सिंह 23/03/22
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमि खसरा नम्बर 72, रकबा 1.33 हैक्टर तन ग्राम नांगल भीम, तहसील श्रीमाधोपुर जिला–सीकर (राज.) में स्थित है। जिसके 50/133 हिस्से का वादी काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व 83/133 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त हिस्सा 50/133 भूमि को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 08.05.2019 से खरीद की गई है व हिस्सा 83/133 भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ने रजिस्टर्ड उपहार लेख दिनांक 08.05.2019 से प्राप्त की है। वादी के विक्रेता जगदीश नारायण ने वादी को भूमि खसरा नम्बर 72 का हिस्सा 50/133 कुल रकबा 1.33 है0 मे से दक्षिणी ओर की 0.50 है0 भूमि जो विक्रय पत्र में दर्ज भूमि थी। मौके पर वादी का वरवक्त विक्रय लेख मौके पर कब्जा वादी को विक्रेता द्वारा सम्भलाया गया था व प्रतिवादी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड उपहार लेख 83/133 भूमि उत्तरी ओर की सम्भलाई थी, तब से ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपनी–अपनी खरीदशुदा व उपहार लेख शुदा भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित भूमि का मौके पर क्रय करने के दिन से ही अलग–अलग बंटवारा किया हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण अपनी–अपनी खरीदशुदा व उपहार में प्राप्त भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। मौके पर अलग–अलग सींव, नींव कायम होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 क्रय/उपहार के दिन से ही अलग–अलग काबिज काश्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी से अकारण ही रंजिश रखता है और वह इसी बदनियति के कारण उक्त भूमि का विधिक बंटवारा कराने में आनाकानी कर रहा हैं। वादी अपनी खरीदशुदा भूमि का अलग से बट्टा नम्बर डलवाकर अलग खातेदारी प्राप्त करना चाहता है। बंटवारे के अभाव में वादी को सख्त हकतल्फी है। वादी संयुक्त खातेदारी की भूमि का समुचित रूप से विकास नही कर पा रहा हैं। इस कारण वादी अपनी बंटवारे की भूमि का अलग से बंटवारा विधिक रूप से करवाकर अपनी भूमि का समुचित विकास कर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता हैं। इस कारण भूमि का बंटवारा किया जाना न्यायोचित हैं। वादी अपनी खरीदशुदा 0.50 हैक्टर भूमि जो भूमि खसरा नम्बर 72, रकबा 1.33 हैक्टर की दक्षिण ओर की भूमि हैं। जिस पर वादी खरीद करने के दिन से पूर्णतया काबिज काश्त है। जिस पर वादी को अलग से बंटवारा करवाकर अपने नाम अलग खातेदारी दर्ज करवाने का पूर्णतया विधिक अधिकार प्राप्त हैं। वादी ने पूर्व में अपनी–अपनी भूमियों का विधिक बंटवारा करवाकर अलग अलग खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी नं. 1 को कई बार कहा तो वह आश्वासन देता रहा व टालता रहा। इसी के चलते वादी द्वारा पूर्व में संस्थित वाद में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई प्रतिवाद नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.28 11:03:47 IST
Reason: SelfAttested

22/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

गया है। परन्तु अब दिनांक 27.08.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर 5–7 भूमाफियां प्रवृति के लोगों को अपने साथ लेकर आया तथा उसने वादी को स्पष्ट रूप से एहलानियां धमकी दी कि उक्त भूमि व तुम्हारे कब्जें व बंटवारे में है। जिसकी संयुक्त खातेदारी होने से मैं भूमि का शीघ्र ही नुमाइशी तौर पर विक्रय लेख पंजीबद्ध कराकर जबरन तुम्हारे कब्जे व बंटवारे वाली भूमि पर भूमाफिया लोगों का जबरन कब्जा करा कर ही रहुंगा। उक्त प्रतिवादी कहने समझाने से मान नहीं रहा है कि इसी कारण मजबूर होकर वादी को यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है व लगातार हो रहा है दावा अन्दर मियाद है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त खातेदारी की आड़ में यदि वादी के कब्जे काश्त व बटवारे की भूमि में जबरन भूमि को खुर्द–बुर्द करने की बदनीयती से भूमाफियां लोगों को बेचान आदि कर जबरन रूप से कब्जा आदि कर लिया जायेगा तो वादी बर्बाद हो जायेगा व उसके विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इस कारण उक्त कृत्य हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें:– कि तकास्मा की डिक्री इस आशय की पारित की जावें की ग्राम नांगल भीम, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.) में स्थित भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 1.33 हैक्टर मे से 0.50 हैक्टर भूमि दक्षिणी ओर की का बट्टा नम्बर डाला जाकर वादी के नाम अलग से खातेदारी खसरा नम्बर 72/1 रकबा 0.50 हैक्टर की खातेदारी वादी के नाम दर्ज कराई जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर नक्शे में अलग–अलग तरमीम कराई जाने का निवेदन वादी ने अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार योगी एड0 उपस्थित आयें। प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 का सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामिल हो जाने के बावजूद आज दिवस तक उपस्थित हाजिर नहीं आने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 चैतन्य ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त है। उपस्थित प्रतिवादी की पहचान प्रतिवादी वकील श्री धर्मेन्द्र कुमार योगी एड0 ने की। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दिये जाने से एंव वकील वादीगण ने वादपत्र वास्ते बंटवारा का होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.28 11:03:47 IST
Reason: SelfAttested

23/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 17.02.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 183/रीडर/2022 दिनांक 28.02.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 631/भू.अ./2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादीगण अभिभाषक ने प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण के पक्ष में बंटवारा बाबत सहमति प्रदान कर दिये जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.03.2022 के अनुसार अंतिम डिक्री जारी कर खातेदारी दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्तागण प्रस्तुत कर दिये जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी[illegible]वादी संख्या 1 रिकॉर्ड सहखातेदार है। जिसमें वादी जरिये रजि[illegible] दि० 08.05.2019 के द्वारा क्रय किया है तथा प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये उपहार लेख दिनां[illegible]8.05.2019 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। वादी संख्या 1 के द्वारा वादी संख्या 2 के पक्ष में हिस्सा 20/133 का उपहार लेख तस्दीक करवा लिये जाने तथा उपहार लेख के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.28 11:03:47 IST
Reason: SelfAttested

23/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादी संख्या 2 का राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो जाने के आधार पर वादीगण राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से एंव प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा हाजिर अदालत होकर प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दिये जाने से पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अंतर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार कराये जाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य सह खातेदारी में दर्ज अपनी सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 1.33 हैक्टर मे से 0.50 हैक्टर भूमि दक्षिणी ओर का बट्टा नम्बर डाला जाकर खसरा नम्बर 72/1 रकबा 0.50 हैक्टर दक्षिणी का खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कराई जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर नक्शे में अलग–अलग तरमीम किये जाने हेतु वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी होने पर प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण एंव वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी–अपनी सहमती प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 04.03.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, सजरी नक्शा, टसरे के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.28 11:53:47 IST
Reason: SelfAttested

22/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रविष्टी					
क्र स	काश्तकारों के नाम	खसरा न.	रकबा (हैक्टे.में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	कचंन देवी सैनी पत्नि राजेश कुमार सैनी हिस्सा 2/5 जाति माली , राजेश कुमार सैनी पुत्र शिम्भू दयाल सैनी हिस्सा 3/5 जाति माली सा. वार्ड नं. 25 श्रीमाधोपुर खातेदार	72/1	0.50	बारानी 2	1.9736
2	चैतन्य सैनी पुत्र आनन्द सैनी हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. ढ़ाणी जयरामकावाली खातेदार	72/2	0.83	बारानी 2	3.2763

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तुर रखा जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./2022/631 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

23/03/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.28 11:03:47
Reason: SelfAttested

23/03/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)